न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 368 / 2022
अनवान : –

1. भूपेन्द्रसिंह पुत्र ओम प्रकाश जाति जाट निवासी गिगोरानी तहसील भादरा ।

– वादी

बनाम्

1. कृष्ण पुत्र मुन्शीराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मुन्सरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. बलवीर पुत्र मुन्शीराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मुन्सरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. लालचन्द पुत्र मुन्शीराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मुन्सरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. मैना देवी पुत्री मुन्शीराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मुन्सरी तहसील भादरा जिला
5. विमला पुत्री मुन्शीराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मुन्सरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
6. विद्या पुत्री मुन्शीराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मुन्सरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
7. कलावती पुत्री मुन्शीराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मुन्सरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
8. कमला पुत्री मुन्शीराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मुन्सरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

–असल प्रतिवादीगण

10. विजेन्द्र पुत्र ओम प्रकाश जाति जाट निवासी गिगोरानी तहसील भादरा जिला

–तस्तीवी प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 27/10/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 6 जीजीएम तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 42 / 38 के प० नं. 406 / 468 (38) के किला नं. 1 ता 4 प्रत्येक की 0.253 80, 5 / 1 की 0.2280 है0, 5 / 2 की 0.0250 है० गै० मु० खाला, 6 / 1 की 0.2280 है0, 6 / 2 की 0. 0250 है० गै० मु० खाला 7 ता 14 प्रत्येक की 0.253 है0, 15 / 1 की 0.2280 है0, 15 / 2 की 0. 0250 है० गै० मु० खाला, 16 / 1 की 0.2280 है0, 16 / 2 की [illegible] प्रत्येक की 0253 है0, 25 / 1 की 0. 2270 है0, 25 / 2 की 0.0260 है० [illegible] कुल क्षेत्रफल 6.3250 है० मुश्तरका खाता की भूमि दर्ज राजस्व [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 16:14:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

जमाबंदी में दर्ज खातेदार रेशमा पत्नी मुन्शीराम का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 है जिनमें से प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का नाम पहले से जमाबंदी में दर्ज है तथा पक्षकार है इसलिए प्रतिवादी संख्या 4 ता 8 को भी आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। वादी व प्रतिवादीगण की उपरोक्त भूमि मुश्तरका होने के कारण नींव व डोल से सम्बन्धित विवाद बना रहता है तथा आपस में लड़ाई झगड़ा होता रहता है इसलिए लड़ाई झगड़ा व विवाद को टालने की गर्ज से वादी मुताबिक हक हिस्सा के अनुसार खाता व लगान अलग–अलग तकसीम करवा पाने का अधिकारी हैं। रोही मौजा 6 जीजीएम तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 42/38 के कुल खसरे 30 का कुल क्षेत्रफल 6. 3250 है० भूमि में वादी का 1/4 हिस्सा, तरतीवी प्रतिबादी संख्या 10 का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक का 1/8 हिस्सा व मृतक रेशमा पत्नी मुन्शीराम के दर्ज 1/8 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 का ब० हि० ब० हक हिस्सा है तथा इसी अनुसार से काबिज चले आ रहे है वादी व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 10 मुताबिक हक हिस्सा व मुताबिक कब्जा काश्त अवागमन हेतु रास्ता देते हुए खाता व लगान न्यायालय से घोषणा करवाकर अलग अलग करवा पाने का अधिकारी है यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसें अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी व प्रतिवादीगण ने राजीनामा इस आशय का पेश किया की वादी व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 10 के पास प० नं0 406/468 (38) के किला नं. 11 की 0.1270 है० दक्षिण तरफ, 12 की 0.1265 है० दक्षिण तरफ, 13 की 0.1265 है। दक्षिण तरफ, 14 की 0.1245 है० दक्षिण तरफ, 15/1 की 0.114 है० दक्षिण तरफ, 15/2 की 0. 012 है० गै० मु० खाला, 16/1 की 0.228 है0, 16/2 की 0.025 है० गै० मु० खाला. 17 ता 25 की 2.024 है0, 25/1 की 0.227 है0, 25/2 की 0.026 है० गै० मु० खाला कुल 3. 0995 है० भूमि नहरी / बारानी तथा 0.0630 है० गै० मु० खाला की भूमि रहेगी

प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पास प० नं0 406/468 (38) के किला नं. 1 ता 4 की 1.012 है० भूमि, 5/1 की 0.228 है0. 5/2 की 0.025 है० [illegible] खाला, 6/1 की 0.228 है0, 6/2 की 0.025 है० गै० मु० खाला, 7 ता [illegible] की [illegible] है० [illegible] की 0.126 है० उत्तरी तरफ, 12/1 की 0.1265 है० उत्तरी तरफ, 13/1 की 0.1265 है० उत्तरी तरफ, 14/1 की 0.1265 है० उत्तरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 16:14:19 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

तरफ, 15/1 की 0.114 है0 उत्तरी तरफ, 15/2 की 0.013 है० उत्तरी तरफ गै० मु० खाला कुल 3.0995 है० नहरी / बरानी तथा 0.0630 है० गै० मु० खाला की भूमि रहेगी। दावा में दर्ज प्रतिवादी संख्या 4 का स्वर्गवास हो चुका है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 ने वाद भूमि में अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में परित्याग कर चुकी है अब इनका कोई हक हिस्सा शेष नहीं है। मुताबिक राजीनामा वाद वाद डिक्री किया जाता है तो हमे कोई ऐतराज नही हैं। पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

प्रकरण में वादी व प्रतिवादीगण का राजीनामा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी व प्रतिवादीगण ने निवेदन किया की मुताबिक राजीनामा खाता व लगान अलग किया जाता है तो हमे कोई ऐतराज नही है।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 6 जीजीएम तहसील नोहर के खाता स0 42/38 की कुल 6.3250 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 व तरतीबी प्रतिवादी स0 10 के नाम दर्ज है। वादी व प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किया गया है एवं निवेदन किया गया है कि वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तो हमे कोई ऐतराज नही है। वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है एवं रोही मौजा 6 जीजीएम तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–74 के खाता स0 42/38 की कुल 6.3250 हैक्ट भूमि का निम्नानुसार खाता व लगान अलग किया जाता है–

<u>वादी व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 10</u> – रोही मौजा 6 जीजीएम के प० नं0 406/468 (38) के किला नं. 11 की 0.1270 है० दक्षिण तरफ, 12 की 0.1265 है० दक्षिण तरफ, 13 की 0.1265 है0 दक्षिण तरफ, 14 की 0.1265 है० [illegible] 0.114 है० दक्षिण तरफ, 15/2 की 0. 012 है० गै० मु० खाला, 16/1 [illegible] ० मु० खाला. 17 ता 25

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 16:14:19 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

की 2.024 है0, 25/1 की 0.227 है0, 25/2 की 0.026 है० गै० मु० खाला कुल 3.0995 है० भूमि नहरी / बारानी तथा 0.0630 है० गै० मु० खाला की भूमि रहेगी।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 – रोही मौजा 6 जीजीएम के प०नं0 406/468 (38) के किला नं. 1 ता 4 की 1.012 है० भूमि, 5/1 की 0.228 है0. 5/2 की 0.025 है० गै० मु० खाला, 6/1 की 0. 228 है0, 6/2 की 0.025 है० गै० मु० खाला, 7 ता 10 की 1.012 है0, 11/1 की 0.126 है० उत्तरी तरफ, 12/1 की 0.1265 है० उत्तरी तरफ, 13/1 की 0.1265 है0 उत्तरी तरफ, 14/1 की 0.1265 है० उत्तरी तरफ, 15/1 की 0.114 है0 उत्तरी तरफ, 15/2 की 0.013 है० उत्तरी तरफ गै० मु० खाला कुल 3.0995 है० नहरी / बरानी तथा 0.0630 है० गै० मु० खाला की भूमि रहेगी। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर यथावत रखते हुए तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 27/10/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 16:14:19 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 368/2022

अनवान : –

1. भूपेन्द्रसिंह पुत्र ओम प्रकाश जाति जाट निवासी गिगोरानी तहसील भादरा ।

– वादी

बनाम्

1. कृष्ण पुत्र मुन्शीराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मुन्सरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. बलवीर पुत्र मुन्शीराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मुन्सरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. लालचन्द पुत्र मुन्शीराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मुन्सरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. मैना देवी पुत्री मुन्शीराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मुन्सरी तहसील भादरा जिला
5. विमला पुत्री मुन्शीराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मुन्सरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
6. विद्या पुत्री मुन्शीराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मुन्सरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
7. कलावती पुत्री मुन्शीराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मुन्सरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
8. कमला पुत्री मुन्शीराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मुन्सरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

–असल प्रतिवादीगण

10. विजेन्द्र पुत्र ओम प्रकाश जाति जाट निवासी गिगोरानी तहसील भादरा जिला

–तस्तीवी प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 368 सन 2025 निर्णय दिनांक 27/10/25

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री मांगेराम गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है एवं रोही मौजा 6 जीजीएम तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–74 के खाता स0 42/38 की कुल 6.3250 हैक्ट भूमि का निम्नानुसार खाता व लगान अलग किया जाता है–

वादी व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 10 – रोही मौजा 6 जीजीएम के प० नं0 406/468 (38) के किला नं. 11 की 0.1270 है० दक्षिण तरफ, 12 की 0.1265 है० दक्षिण तरफ, 13 की 0.1265 है0 दक्षिण तरफ, 14 की 0.1265 है० दक्षिण तरफ, 15/1 की 0.114 है० दक्षिण तरफ, 15/2 की 0. 012 है० गै० मु० खाला, 16/1 की 0.228 है0, 16/2 की 0.025 है० गै० मु० खाला. 17 ता 25 की 2.024 है0, 25/1 की 0.227 है0, 25/2 की 0.026 है० गै० मु० खाला कुल 3.0995 है० भूमि नहरी / बारानी तथा 0. 0630 है० गै० मु० खाला की भूमि रहेगी।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 – रोही मौजा 6 जीजीएम के प०नं0 406/468 (38) के किला नं. 1 ता 4 की 1.012 है० भूमि, 5/1 की 0.228 है0. 5/2 की 0.025 है० गै० मु० खाला, 6/1 की 0.228 है0, 6/2 की 0.025 है० गै० मु० खाला, 7 ता 10 की 1.012 है0, 11/1 की 0.126 है० उत्तरी तरफ, 12/1 की 0.1265 है० उत्तरी तरफ, 13/1 की 0.1265 है0 उत्तरी तरफ, 14/1 की 0.1265 है० उत्तरी तरफ, 15/1 की 0.114 है0 उत्तरी तरफ, 15/2 की 0.013 है० उत्तरी तरफ गै० मु० खाला कुल 3.0995 है० नहरी / बरानी तथा 0.0630 है० गै० मु० खाला की भूमि रहेगी। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर यथावत रखते हुए तथा सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कार्यवाही करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 27/10/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 16:14:19 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर